भारत में शिक्षा के विकास का क्रमिक अध्ययन

शिक्षा और विकास
ISBN 978-93—93164-14-8
पृष्ट सं0— 55 से 65
डॉ0 (प्रो0) शीशम साहू
गोपीनाथ सिंह महिला महाविद्यालय
गढ़वा, झारखण्ड
हिन्दी विभाग
मो0 नं0 — 9955156475

गुढ़ ज्ञान का अधिष्ठाता भारत समस्त विश्व का लोक प्रिय एवं आकर्षण का केन्द्र रहा है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था एंकागी नहीं बल्कि चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर थी जो मन, मस्तिष्क, आत्मा एवं शरीर सभी को पुष्ट करती थी।

यदि हम भारत की शिक्षा प्रणाली पर दृष्टी डालें तो हम पाते है कि वैदिक काल से ही यहाँ की शिक्षा प्रणाली अत्यन्त सुदृढ़ एवं सशक्त थी। वैदिक काल में शिक्षा जीवन की समस्त प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण फी। इसके अलावा लोागो के जीवन से परे पारलौकिक विचार धारा का शिक्षा पर पूरा—पूरा प्रभाव था। दोनों ही दृष्टीयों से संपूर्णता को प्राप्त करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। शिक्षा की व्यवस्था यहॉ दो रूपों में थी —

1. प्रारंभिक
2. उच्च शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा शिक्षार्थी को घर पर ही दी जाती थी जो विद्ययांश संस्कार से शुरू होता था और यह संस्कार कुल पुरोहित के द्वारा करवाया जाता था परन्तु उच्च शिक्षा शिक्षार्थी को गुरूकुल में दी जाती थी जो उपनयन संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार के बाद होता था। यहॉ गुरू ही सर्वस्य होते थे। वे सर्वद्रष्टा एवं ब्रह्मज्ञानी होते थे। उनका आचरण पवित्र तथा उदार होता था। समाज में गुरू का स्थान नेता पथ प्रदर्शक, निर्माणकर्ता तथा प्रेरक का था। शिष्य और गुरू के बीच पुत्र एवं पिता के समान संबंध होता था। गुरू द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना विद्यार्थियों का धर्म होता था। वे तपमय जीवन बिताते हुए गुरू प्रदत ज्ञानार्जन में सतत प्रयत्नशील रहते थे। वैदिक काल में शिक्षक छात्रों को वेदों के किसी न किसी अध्याय को रटा दिया करते थे। इससे वैदिक ज्ञान कागज के अभाव में लुप्त नहीं हो पाता था। तदन्तर वैदिक शिक्षा व्यवस्था में समयानुसार परिवर्तन होते देखा गया। शिष्य की सक्रियता बढ़ी, प्रश्नोत्तर अथवा वार्तालाप

विधि द्वारा समस्याओं का समाधान निकाला जाता। इसका उल्लेख 'शतपथ ब्राह्मण' में भी मिलता है। भुल सुधार हेतु मौखिक परीक्षा होती थी तथा शुद्ध उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता था। गुरू की गायों को जंगल में ले जाकर चराना, भिक्षा मांग कर लाना शिष्यों के परम कर्तव्य होते था।[1]

उपनयन संस्कार अथवा गुरूकुल में प्रवेश के लिए 5 वर्ष अथवा 8 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई थी। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यो के लिए अलग–अलग आयु निर्धारित थी। छात्र ब्रह्ममुहुर्त में उठकर नित्य कर्म से निपटकर आश्रम के लिए कुश, जल और समीधा लाकर गायों की सेवा कर गुरू जी के पास अध्ययन के लिए जाते थे। शिक्षा के दो रूप थे– सामान्य एवं विशिष्ट। सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत संस्कृत भाषा एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी जबकि विशिष्ट शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न धर्मग्रंथों एवं कर्मकाण्डों की शिक्षा दी जाती थी। 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले 'स्नात्तक' कहलाते थे जो कम से कम एक वेद के ज्ञाता होते थे, 24 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले 'वसु' कहलाते थे जो कम से कम दो वेदो के ज्ञाता होते थे। 38 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले 'रूद्र' कहलाते थे जो कम से कम तीन वेदो के ज्ञाता होते थे एवं 48 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले चार वेदों को ज्ञाता होते थे और 'आदित्य' कहलाते थे। शिक्षा निःशुल्क थी किन्तु शिक्षा समाप्ति के बाद शिक्षार्थी गुरू दक्षिणा देता था।

इस शिक्षण संस्थान की सबसे बड़ी विशेषता थी कि यहाँ एक साथ ही धर्म, राजनीति, वैदिक शिक्षा, ज्योतिष शिक्षा, कृषि पशुपालन आदि की शिक्षा दी जाती थी। ऋगवेद काल में पशुपालन एक महत्वपूर्ण कार्य था उसे ही 'प्रधान धन' समझा जाता था। गाय पालन कर उसे दुध, दही, घी एवं मक्खन आदि निकालते थे।[2]

वैदिक काल के उपरान्त महात्मा बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धार्मिक क्रांति का प्रभाव भारतीय शिक्षा पर भी पड़ा जिसके परिणामस्वरूप एक नई शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ जिसे हम बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली (लगभग 500 ई0पु0 से 1200 ई0पु0 तक) कहते है। यहाँ भी वैदिक काल की तरह शिक्षा प्रणाली दो रूपों में थी –

1. प्रारंभिक
2. उच्च शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा बौद्ध मठों में और उच्च शिक्षा बौद्ध मठों एवं बिहारो में दी जाती थी। यहाँ प्रवेश के नियम कुछ कठोर थे। शिक्षार्थी को बौद्ध संघ के समक्ष उपस्थित होकर

उनके प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। निर्णय होने के बाद प्रवेश की अनुमति मिल जाती थी, उसके बाद 'उपसंपदा संस्कार' होता था। यहाँ शिक्षार्थी बौद्ध भिक्षु कहलाते थे। बौद्ध भिक्षुओं को आठ नियमों का पालन करना होता था–

1. साधारण वस्त्र पहनना
2. वृक्षों के नीचे वास करना
3. भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहन करना
4. चोरी नहीं करना
5. जीव हत्या नहीं करना
6. अलौकिक शक्तियों का दावा नहीं करना
7. स्त्रियों से यौन संबंध स्थापित नहीं करना
8. औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन करना

बौद्ध मठों या बिहारो में शिक्षा दो प्रकार की दी जाती है – 1. धार्मिक शिक्षा एवं लौकिक शिक्षा।

धार्मिक शिक्षा बौद्ध धर्म के प्रचार एवं निर्वाण प्राप्ति के लिए दी जाती थी। यहाँ तीन धर्म ग्रन्थों का ज्ञान करवाया जाता था जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है।

1. सुत पिटक
2. विनय पिटक
3. अभिधम्म पिटक

महात्मा बुद्ध ने संसारिक दुःखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग पर चलने की बात कही थी जो इस प्रकार हैः–

1. सम्यक दृष्टि
2. सम्यक संकल्प
3. सम्यक वाक
4. सम्यक कर्मान्त
5. सम्यक आजीव
6. सम्यक व्यायाम
7. सम्यक स्मृति

8. सम्यक समाधि

लैकिक शिक्षा जनसंधारण के लिए निर्धारित किया गया था। इसके अन्तर्गत दर्शन साहित्य, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, राज्य व्यवस्था आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा का माध्यम पहले पाली में और बाद में संस्कृत में दी जाती थी। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, मिथिला ओदन्तपुरी आदि शिक्षा के प्रमुख केन्द्र थे। जगत विख्यात कुटनीतिज्ञ चाणक्य तक्षशिला के ही आचार्य थे। यही चीनी यात्री फाहयान शिक्षा दीक्षा लेने हेतु आए थे।[3]

तदुपरान्त 1206ई0 से 1757ई0 तक का समय मध्यकाल के अन्तर्गत आता है जिसमें पहले गुलाम वंश फिर मुगल शासकों का समय रहा। इस काल के प्रारम्भ में मुस्लिम शासकों ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाये रखने एवं इस्लामिक शिक्षा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ही शिक्षा का प्रचार–प्रसार किया बाद में अन्य क्षेत्रों में भी ज्ञानार्जन किया गया। अन्य कालों की तरह शिक्षा की व्यवस्था यहाँ भी दो रूपों में हुईः–

1. प्रारंभिक
2. उच्च शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत बालकों को शिक्षा मकतब में दी जाती थी, जहाँ लिखना सिखाया जाता था और उच्च शिक्षा मदरसा में दी जाती थी। जहाँ भाषा का ज्ञान दिया जाता था। मदरसा का पाठ्यक्रम लगभग 10–12 वर्षों का था। यहाँ लौकिक और धार्मिक दोनो तरह की शिक्षा दी जाती थी। लौकिक शिक्षा के अन्तर्गत अरबी, फारसी भाषाओं का साहित्य, तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र, गणित, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा, कृषि और कहीं–कहीं स्थापत्य कला एवं संगीत कला की भी शिक्षा दी जाती थी। रटन्त विद्या पर विशेष बल दिया जाता था। धार्मिक शिक्षा के अन्तर्गत इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा देने का माध्यम फरसी था किन्तु अरबी का अध्ययन भी अनवार्य था। मदरसो में अधिकांश शिक्षा मौखिक ही दी जाती थी। यहाँ के शिक्षकों को 'उस्ताद' एवं छात्रों को शार्गिद कहा जाता था। मदरसो को राज्य के द्वारा नियमतः कोई आर्थिक मदद नहीं दी जाती थी, फिर भी कभी–कभी राज्य द्वारा मदद कर दी जाती थी। प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले छात्रों को उपाधियों से विभूषित किया जाता था–

जैसे तर्कशास्त्र–फाजिल

धर्मशास्त्र–आलिम

साहित्य–काबिल

इस शासन प्रणाली में शिक्षा देने के प्रमुख कई केन्द्र थे–यथा–दिल्ली, आगरा, जौनपुर बीदर, मालवा। मुगल काल इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास का काल था फिर भी इसे हिन्दी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। हिन्दी के श्रेष्ठ महाकवि तुलसीदास एवं सूरदास इसी काल में हुए। प्रेममार्गी निर्गुण शाखा के कवि माल्लिक मुहम्मद जायसी एवं अनेकों कवियो का जन्म हुआ एवं महान ग्रंथ पद्मावत की रचना हुई। शाहजहाँ के शासन काल में जब मुगल प्रशासन में वैभव प्रदर्शन एवं अलंकार प्रभाव भी हिन्दी साहित्य पर पड़ा जिसके कारण रीतिकाव्यो की रचनाएँ की गयी। औरंगजेब के काल में हिन्दु पुनरूत्थान की भावना ने जिसके प्रतीक शिवाजी और महाराजा छत्रसाल थे, हिन्दी साहित्य को प्रभावित किया और महाकवि भूषण द्वारा हिन्दी हिन्दू जानभावना को अपने साहित्य में व्यक्त किया गया। मुगल काल के बाद का समय ब्रिटिश काल का आता है। यदि ब्रिटिश काल में शिक्षा के विकास पर ध्यान दे तो दो तरह की शिक्षा का विकास दिखाई देता है।

1. व्यापार
2. शासन

प्रथम गर्वनर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की ताकि वे मुस्लिम संस्कृति को समझ सकें इसके बाद जोनाथन डंकन ने 1791ई0 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जिससे हिन्दू संस्कृति को समझ सकें यही कारण था कि विल्किस ने 1784ई0 में भगवतगीता एवं 1787ई0 में हितोपदेश का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। 1789ई0 में जोंस ने कालिदास रचित अभिज्ञान शांकुतलम का 1797ई0 में जयदेव रचित गीत गोविंद का अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी में करवाया और उन्हें यह अनुभव हुआ कि भारत में कितना ज्ञान छुपा है। मनुस्मृति का अनुवाद भी संस्कृत से अंग्रजी में करवाया गया। इसके पीछे का मकसद उनक अपना स्वार्थ था ताकि भारतवासियों को अधिक से अधिक समझ सकें और उनपर शासन कर सके। लार्ड वेलेजली ने 1800ई0 में कलकत्ता में Civil Servants के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की।

वेस्टर्न तर्ज पर भारत में जो शिक्षा शुरू की गयी वह है 'चार्टन एक्ट' (1813ई0) इसमें साहित्य के पुनरूद्धार तथा विकास के लिए एवं स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए एक लाख रूपये की व्यवस्था की गयी जो 1823ई0 से लागू हुई। राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर के प्रयत्नों से अनेक स्कुलों की स्थापना हुई जिसमें एक हिन्दु कॉलेज

भी था जहाँ अंग्रेजी नीतिशास्त्र, व्याकरण, बंगला, इतिहास, भूगोल, गणित एवं ज्योतिष विद्या की भी शिक्षा दी जाती थी।

1835ई0 में मैकाले का घोषणा पत्र लागू हुआ इसमें भारतीय साहित्य की आलोचना एवं पाश्चात्य साहित्य की भूरी–भूरी प्रशंसा की गयी थी। लॉर्ड मैंकाले द्वारा चलाई गयी शिक्षा प्रणाली ने यहाँ की संस्कृति एवं संस्कार को तहस–नहस कर दिया उसमें भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए उसे अंधविश्वासों का भंडार बताया। तत्पश्चात् लॉर्ड ऑकलैण्ड ने शिक्षा के अधोमुखी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में यह कहा गया कि हर वर्ग को शिक्षा देना जरूरी नहीं है केवल उच्च वर्ग को ही शिक्षा दी जाय। इसके उपरान्त निम्न वर्ग को शिक्षा प्रदान की जायेगी।

1854ई0 में चार्ल्स वुड ने भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की जिसे 'वुड का डिसपैच' कहा गया। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का 'मैंगनाकांटा' भी कहा गया। इसी घोषणा पत्र में नीजि प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता राशि (Grant in Add) की पद्धती चालू की गयी। लन्दन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में तीन विश्वविद्यालय स्थापित किए गये जिसमें एक कुलपति, उपकुलपति, सीनेट एवं विधि सदस्यों की व्यवस्था की गई।[4]

वुड घोषणा पत्र की मुख्य बातें थीः–

1. नवीन शिक्षा संस्थाओं की वृद्धि।
2. शिक्षा के स्तर में परिवर्तन।
3. शिक्षा व्यवस्था का स्थानीयकरण।
4. शिक्षण माध्यम में वृद्धि।

<u>इस घोषणा पत्र में</u>

1. उच्च शिक्षा के अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा का भी सुझाव दिया गया।
2. विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी।
3. श्रृंखला बद्ध विद्यालयों का प्रादुर्भाव हुआ।
4. नौकरी में शिक्षितों को प्राथमिकता दी गयी।
5. देशी भाषा के मेधावी छात्रों को भी छात्रवृति का प्रबंध किया गया।
6. पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया।
7. व्यवसायिक शिक्षा प्रदान कर बेकारी की समस्या को दूर करने का प्रथम प्रयत्न किया गया।

8. भारत में सर्वसाधारण हेतू शिक्षा का द्वार खुला।

वुड घोषणा पत्र के कुछ अवगुण भी सामने आए– जैसे शिक्षा विभाग के अधिकारी वास्तविक शिक्षा पर ध्यान न देकर सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाने लगे। सीनेट के सभी सदस्य सरकार के माध्यम से ही मनोनीत होते थे, फलतः अंग्रेजी पिठ्ठू ही सीनेट के सदस्य होते थे। मातृभाषा को शिक्षा में सही महत्व नहीं दिया गया।

अतः वुड की घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतू सन् 1883ई0 में सरकार ने 'डबल्यू डबल्यू हण्टर' की अध्यक्षता में हण्टर आयोग का गठन किया। इस आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव थेः–

सरकार प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विकास पर विशेष ध्यान दे।

प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करायी जाय।

इस आयोग ने विशिष्ट क्षेत्रों से सम्बन्धित शिक्षा के सम्बन्ध में भी सुझाव प्रसतुत किये। नारी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, पहाड़ी तथा आदिवासी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि पर भी विचार व्यक्त किये गए।

सन् 1901ई0 में लार्ड कर्जन ने शिमला में शिक्षा संचालकों और ईसाई प्रचारकों के प्रतीनिधियों के साथ एक गुप्त सम्मेलन किया। उस सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित किये जिसमें मुख्य था :–

1. शिक्षा केन्द्र के माध्यम से नियंत्रित एवं संचालित होगी।
2. शिक्षा के सभी क्षेत्रों में प्रशासन का नियंत्रण होगा।

इस सम्मेलन में किसी भी भारतीय को नहीं बुलाया गया था। साथ ही साथ सम्मेलन की कार्यवाही भी गुप्त रखी गयी थी। फलस्वरूप लोगों के मन में कई शंकाए उत्पन्न हुई जैसेः– शिक्षा को यूरापिय और ईसाई प्रचारकों के हाथ में सौंपकर प्रशासन देश में फैली हुई राष्ट्रीय भावना का दमन करना चाहता है। अतः इस आयोग की कड़ी आलोचना की गयी।

सन् 1904ई0 में 'सर टॉम्स रैले आयोग' की सिफारिश के मद्देनजर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। इसके प्रावधान थे :–

1. अध्ययन तथा शोध को बढ़ावा देना।
2. योग्य प्रध्यापकों एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति करना।
3. उपयगी प्रयोगशालाओं एवं मुक्त कॉलेजो की स्थापना करना।
4. अधिनियम का सीनेट की अधिकतम संख्या 100 और न्यूनतम 50 कर दी गयी।

5. आजीवन सदस्यता को समाप्त कर न्यूनतम समय 5 वर्ष कर दिया गया।

इस अधिनियम की भी भारतीय निवासियों पर अनुकूल एवं संतोष जनक प्रतिक्रिया नहीं हुई इस अधिनियम में अनेक दोष होते हुए भी तुलनात्मक दृष्टि से फायदा ज्यादा था। जैसे विश्वविद्यालय का संचालन और संगठन ज्यादा व्यवस्थित और ठोस हो गया। शिक्षा का स्तर ऊँचा हो गया। कॉलेजो की हालत से सुधार हुआ।

सन् 1919ई0 में 'सैण्डलर आयोग' का गठन हुआ। इस आयोग में कई सुझाव दिए गए।

1. स्नात्तक काक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट हो।
2. बी0ए0 का पाठ्यक्रम तीन वर्षों का हो।
3. विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट कक्षा को अलग कर इंटमीडिएट कॉलेज स्थापित हो।
4. इंटरमीडिएट कॉलेज में कला, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग आदि विषयों की पढाई हो।
5. भारतीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय।
6. प्रत्येक प्रान्त में हाई स्कूल तथा इण्डमीडिएट शिक्षा परिषद् का गठन हो।[5]

इस आयोग ने माध्यमिक इण्टरमीडिएट और विश्वविद्यालय शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक और जीवनोपयोगी बनाने में उल्लेखनीय प्रयत्न किये। इसी के प्रभाव से देश में अनेक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।

तदन्तर सन् 1929ई0 में 'हारटोंग कमीशन' की स्थापना हुई। इस आयोग की स्थापना शिक्षा की गुणात्मक विकास के लिए की गई। 1937ई0 में महात्मा गॉधी ने देश के सामने एक शिक्षा योजना प्रस्तुत की। वे चाहते थे कि छात्रों को शिक्षा के साथ–साथ एक ऐसे व्यवसाय का भी प्रशिक्षण दिया जाय जिससे बाद में वह जीवन यापन कर सके। सात से चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध हो। इसे 'वर्धा योजना' कहा गया किन्तु सरकार द्वारा इस योजना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

सन् 1944ई0 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष 'सर जार्ज सार्जेन्ट' ने भारत में युद्धोतर शिक्षा विकास हेतु एक योजना तैयार कर वायसराय की कार्यकारिणी को पुननिर्माण समिति के समक्ष प्रस्तुत की। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा एवं हाई स्कूल स्तर में टेक्नीकल और व्यवसायिक शिक्षा इण्टरमीडिएट को समाप्त कर एक वर्ष कॉलेज और एक वर्ष स्कूल शिक्षा में जोड़ना महाविद्यालय में प्रवेश सीमित करने के प्रावधान का सुझाव दिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् 1949ई0 में विश्वविद्यालय में शिक्षा के सुधार के लिए 'राधा कृष्णन कमीशन' बनाया गया इसके द्वारा प्रस्तुतः रिपोर्ट मे निम्नलिखित मुख्य अनुशंसाए थी :–

1. विश्वविद्यालय से पूर्व बारह वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए।
2. विश्वविद्यालय में कम से कम 180 दिन शिक्षण होना चाहिए।
3. महाविद्यालय में एक हजार से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए।
4. शिक्षा व्यय में वृद्धि की जाय, छात्रों को छात्रवृति अधिक दी जाय। कृषि मेंडिकल, इंजिनियरिंग आदि पर विशेष ध्यान दिया जाय।
5. प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए।
6. शांति निकेतन एवं जामिया मिलिया के तर्ज पर ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए।
7. विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाय।
8. देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा की देख–रेख के लिए विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग का गठन किया जाय।[6]

इस आयोग की अधिकांश अनुशंसाओं को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

इसके उपरांत 1964ई0 में 'डॉ0 कोठारी' की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया। इसका कार्य शिक्षा के सभी पक्षों तथा चरणों के विषय में साधारण सिद्धान्त नीतियाँ एवं राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा तैयार कर उनसे सरकार को अवगत कराना था। 1968ई0 में पुनः एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में सभी राज्यों द्वारा 10+2+3 प्रणाली को मान लिया गया। इस प्रणाली के अन्तर्गत स्कूली पाठ्यक्रम में छात्र–छात्राओं को एक समान शिक्षा देने के अलावा विज्ञान और गणित को अनिवार्य विषय बनया गया। चौदह वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इस निति के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का अध्यापकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं उनके लिए मानक तय करने का प्रावधान हुआ। पुनः 1986ई0 की शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षा में एक रूपता लाने, प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को आन्दोलन बनाने एवं सभी को शिक्षा सुलभ कराने का कार्य हुआ। विशेषकर बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। सन् 1976ई0 में शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया। इसी बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा

के लिए 1990 में 'आचार्य राममूर्ति' की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा 1993 में 'प्रो0 यशपाल समिति' का गठन किया गया।

इस प्रकार प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के भारत में कई आवधारणा और विचार समान रूप से चलते रहे। अंग्रजी राज्य में राष्ट्र को एकता नसीब हुई एवं भेदभाव एवं शोषण भी प्राप्त हुआ। अतः 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद देश के समस्त नागरिकों हेतु समान न्याय, विचार अभिव्यक्ति अवसर, धर्म निरपेक्षता का आदर्श अपनाया इस नवगठित समाज में शिक्षा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और आगे भी देना है।[7]

इ0 एम0 बोगार्डस के अनुसार 'सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को अर्जित करना शिक्षा का होना है।' बोगार्डस का मानना है व्यक्ति की जो अपनी संस्कृति है, उसे समझना अपनाना व उसके अनुकूल व्यवहार शिक्षा हैं। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्राणी के रूप में परिणत करता है।[8]

यही कारण है शिक्षा मानव समाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत प्रक्रिया मानी गई है। यह मनुष्य तथा समाज के जीवन की विविध रूपों में प्रभावित करती है।

संदर्भ संकेत

1. भारतीय समाज
   आलोक सिन्हा
   ग्रीन लीफ पब्लिकेशन, वाराणसी
   पृष्ठ संख्या – 109–114
2. वैदिक साहित्य का इतिहास
   डॉ0 पारसनाथ द्विवेदी
   पृष्ठ सं0 – 75–77
3. सबलाइन क्लासेस
   20 अप्रैल 2019
4. इतिहास
   बी0ए0 तृतीय वर्ष
   एस0 बी0 पी0 डी0 पब्लिकेशन
   डॉ0 ए0 के0 चतुवेर्दी
   पृष्ठ सं0 146–147, 155
5. भारतीय समाज
   आलोक सिन्हा
   ग्रीन लीफ पब्लिकेशन
   पृष्ठ सं0 124–133
6. ठतिहास
   डॉ0 ए0 के0 चतुर्वेदी
   एस0 बी0 पी0 डी0 पब्लिकेशन
   पृष्ठ सं0 157
7. समाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन
   आलोक सिन्हा